



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 2008/श्रावण 1, 1930

No. 263]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 2008/SRAVANA 1, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

(एम्बेस्सि अनुभाग)

संकेत

नई दिल्ली, 23 जुलाई 2008

सं. आरटी-11012/12/01-एम्बेस्सि.— अभी हाल में, सरकार को अक्षम व्यक्तियों से अनेक अप्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें बाजार में अक्षम व्यक्तियों के वाहनों की अनुपलब्धता और मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 52 के तहत मोटर यानों में परिवर्तन करने पर प्रतिबंध लगाने की नीति के कारण उन्हें पेश आ रही समस्याओं का उल्लेख किया गया है।

2. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 (18) 'अशक्त वाहन' को किसी शारीरिक दोष अथवा अक्षमता से पीड़ित किसी व्यक्ति के प्रयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए और निर्मित मोटर यान और जिसका विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति द्वारा अथवा के लिए प्रयोग किया जाता है, के रूप में परिभाषित करती है। वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक न होने के कारण ओईएम अशक्त वाहन का विनिर्माण नहीं करती। इसके अतिरिक्त, विकलांगता की डिग्री और स्वरूप व्यक्ति दर व्यक्ति अलग-अलग होता है।

3. वर्ष 2000 में अधिनियम में किए गए संशोधन से पूर्व संबंधित रजिस्ट्रिंग प्राधिकारी के अनुमोदन से मोटर यानों में परिवर्तन संभव थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यान मूलतः अनुमोदित प्रोटोटाइप का अनुपालन करें, मोटर यानों में परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सन् 2000 में धारा 52 में संशोधन किया गया था। परिणामस्वरूप, रजिस्ट्रिंग प्राधिकारियों ने संशोधित/परिवर्तित दुपिडिया का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया। तथापि, धारा 52 (1) का परंतुक केंद्र सरकार को विशेष प्रयोजनों के लिए विहित विधि में मोटर यानों में परिवर्तन के लिए छूट प्रदान करने का अधिकार देता है।

4. इसलिए अक्षम व्यक्तियों और अन्य सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा से समझौता किए बगैर अक्षम व्यक्तियों को उपयुक्त दुपहिया वाहन प्रदान करने का तरीका तलाशने के लिए इस मामले पर इस विभाग में विचार किया गया था।

5. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 52 के तीसरे परंतुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस आदेश के साथ संलग्न अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विधि से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शारीरिक रूप से दिवलांग व्यक्तियों के प्रयोग के लिए मोटर साइकिलों (इस अधिनियम की धारा 2 (27) में परिभाषित) में परिवर्तन के लिए छूट प्रदान करती है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

- i) पीछे जुड़े यानों का वर्गीकरण 'अशक्त वाहन' के रूप में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये वाहन मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 (18) में दी गई 'अशक्त वाहन' की परिभाषा को पूरा नहीं करेंगे।
- ii) स्मूटर के बारी और साइड कार जोड़ने के पश्चात् भी सीट क्षमता समान रहेगी और साइड कार का उपयोग सामान की दुलाई के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- iii) ऐसी अनुमति अशक्त व्यक्ति को दी जाए यदि वह परिवर्तित यान का स्वामी है।
- iv) यदि प्रोटो टाइप यान बाजार में उपलब्ध हैं तो ऐसी अनुमति पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- v) परिवर्तन के लिए अनुमति वैध होगी यदि अक्षम व्यक्ति यान चला रहा है।
- vi) यान को उचित स्थिति में रखना और उसे सावधानीपूर्वक चलाना अक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ताकि सुरक्षा को कोई खतरा न हो।
- vii) यह अनुमति यान चलाने के लिए सक्षम चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर निर्भर करेगी।
- viii) अक्षम व्यक्ति को ड्राइविंग परीक्षा देनी होगी और परिवर्तित यान को चलाने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी। विहित सुधार के साथ यान चलाने की उसकी योग्यता का निर्धारण करते समय अक्षम व्यक्ति की योग्यता पर विचार किया जाना चाहिए। लोको मोटर अक्षमता वाले व्यक्ति को फिजिकल मेडिसिन एवं रीहैबिलिटेशन (पीएमआर) में विशेषज्ञ चिकित्सक / आर्थोपेडिक सर्जन द्वारा यथाविहित विशिष्ट वाहन में सुधार कराने होंगे।
- ix) संबंधित रजिस्ट्रिंग प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन के बारे में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी।
- x) यान को किसी अन्य पक्षकार को बेचे जाने पर यह अनुमति वापस ली गई समझी जाएगी।
- xi) अधिकृत परीक्षण एजेंसी से रेट्रो फिटमेंट किट का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- xii) अनुमोदित रेट्रो फिटमेंट किट लगाए जाने के लिए अधिकृत कार्यशाला का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- xiii) उक्त परिवर्तन की अनुमति केवल गैर परिवहन यानों में ही दी जानी चाहिए।

6. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार दुपहिया में पीछे साइड कार जोड़ने / दोनों ओर पीछे अतिरिक्त दो पहिए लगाने से संबंधित मामलों पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है :-

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए दुपहिया यान के लिए रेडो फिटमेंट/अनुकूलन किट के अनुमोदन की प्रक्रिया

1.0 उद्देश्य

शरीर के निचले हिस्से में अक्षमता वाले व्यक्ति को दुपहिया चलाने के लिए सुविधा प्रदान करना

2.0 यान में संभव सुधार

2.1 साइड कार लगाना

- (क) दुपहिया यान में बायीं ओर साइड कार लगाकर सुधार किया जा सकता है।
- (ख) ऐसा सुधार करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यान की मूल संरचना में न्यूनतम परिवर्तन किए जाएं।
- (ग) यदि मूल यान में कोई पैर नियंत्रण है (जैसे एक्सिलरेटर, ब्रेक, क्लच अथवा गियर शिफ्ट), ऐसे नियंत्रण हाथ से प्रचालन के लिए अनुकूल बनाए जाएंगे।
- (घ) यान में, यान की रॉलिंग को रोकने के लिए पहियों को लॉक करने की विधि होगी (यान से उतरने, क्लान पर यान को रोकने आदि जैसी स्थितियों में)
- (ङ) यान हाथ से स्टार्ट होगा अथवा इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग विधि होगी।
- (च) व्यक्ति की सहायक सामग्री/वैशाखी आदि ले जाने के लिए क्लैम्पिंग की व्यवस्था की जाएगी।

2.2 पीछे दोनों ओर दो अतिरिक्त पहिए लगाना :

- (क) दुपहिया यान में यान के संतुलन/स्थिरता के लिए दो अतिरिक्त पहिए लगाकर सुधार किया जा सकता है। अतिरिक्त लगे दो पहिए वरीयतः उसी आकार और विनिर्देश के होंगे जो पिछले मूल पहिए का है।
- (ख) ऐसा सुधार करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन के मूल ढांचे में न्यूनतम परिवर्तन किए जाएं।
- (ग) यदि मूल यान में कोई पैर नियंत्रण है (जैसे एक्सिलरेटर, ब्रेक, क्लच अथवा गियर शिफ्ट), ऐसे नियंत्रण हाथ से प्रचालन के लिए अनुकूल बनाए जाएंगे।
- (घ) यान में, यान की रॉलिंग को रोकने के लिए पहियों को लॉक करने की विधि होगी (यान से उतरने, क्लान पर यान को रोकने आदि जैसी स्थितियों में)

- (ड.) यान हाथ से स्टार्ट होगा अथवा इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग विधि होगी।
 (घ) व्यक्ति की सहायक सामग्री/वेशाखी आदि ले जाने के लिए क्लैम्पिंग की व्यवस्था की जाएगी।

3.0 रीट्रो फिटमेंट/एडेप्टेशन किट का अनुमोदन

3.1 अनुमोदन के लिए आवेदन

किट विनिर्माता अनुबंध-1 में दिए गए विवरण के अनुसार तकनीकी सूचना के साथ-साथ रीट्रो फिटमेंट/एडेप्टेशन किट लगे टाइप अनुमोदन यान का मॉडल प्रस्तुत करेगा।

4.0 अपेक्षाएं

रीट्रो फिटमेंट/एडेप्टेशन किट लगे यान के मॉडल के निम्नलिखित परीक्षण किए जाएंगे :

4.1 कार्यात्मक ब्रेक परीक्षण


यान को 50 किमी. प्रति घंटे की गति (स्पीडोमीटर पर यथा इंगित) से शहर की सामान्य सड़क पर चलाया जाएगा। दोनों ब्रेक (अगला और पिछला) एक साथ लगाए जाएंगे और यान के रोकने की विधि की जांच की जाएगी। इस परीक्षण के दौरान यान अस्थिरता अथवा असुरक्षित परिस्थिति प्रदर्शित नहीं करेगा।

4.2 कार्यात्मक ब्रेक क्षमता परीक्षण

वाहन को शहर के फ्लाइओवर जैसे ढलान (ग्रेडियंट) पर चलाया जाएगा। ढलान पर चढ़ते समय ब्रेक लगाए जाएंगे। यान फिसलेगा और पीछे वापस नहीं होगा। ब्रेक छोड़ने पर यान आसानी से ढलान पर चढ़ने में समर्थ होगा।

4.3 रीट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना


- 4.3.1 लाल रंग का और न्यूनतम 20 मिमी चौड़ा रीट्रो रिफ्लेक्टिव टेप साइड कार के पिछली ओर चौड़ाई में अथवा अतिरिक्त पट्टियों (जो भी स्थिति हो) पर लगाया जाएगा ताकि अतिरिक्त फिटमेंट की उपस्थिति और पीछे से वाहन की चौड़ाई का संकेत मिल सके जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।



पीछे दो पहिए लगा यान

साइड कार लगा यान

4.3.2 न्यूनतम 20 मिमी चौड़ी बेत वर्ण की पञ्च परावर्ती टेप को अतिरिक्त फिटमेंट और वाहन की आगे की ओर से चौड़ाई जैसा कि नीचे दिखाया गया है, की उपस्थिति को दर्शाने के लिए साइडकार के आगे अथवा अतिरिक्त पहियों (जैसा भी मामला हो) पर लंबी चौड़ी पट्टी के रूप में लगाया जाएगा।



पीछे दो पहिए लगा यान

साइड कार लगा यान

4.4 पहचान के निशान

वाहन पर आगे तथा पीछे की ओर निम्नलिखित प्रतीक लगा होगा जिससे यह पता चलता हो कि वह वाहन अशक्त व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग किए जाने के लिए है। यह प्रतीक पञ्च परावर्ती सामग्री (टेप) से बना होगा।

2789 GI/08-2



आकार : 80 x 80 मिमी

5.0 अनुमोदित किट्स लगाए जाने के लिए कार्यशालाओं का अनुमोदन
किट विनिर्माता कार्यशालाओं की पहचान करेगा जो उसकी ओर से किट लगाने का कार्य करेगी। यह कार्य निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा :

- संक्षमता
- आवश्यक उपस्करों की उपलब्धता
- संबंधित क्षेत्र में अनुभव
- प्रशिक्षित जनशक्ति आदि

6.0 शारीरिक विहंगता के प्रकार जिन पर रीट्रो लगी किट वाले उपर्युक्त वाहनों के प्रयोग करने के लिए विचार किया जा सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाने चाहिए :-

अंग अक्षमता का प्रकार	सिफारिश	अभ्युक्ति
बाया निचला अंग (आंशिक अथवा पूर्ण)	इस पर विचार किया जा सकता है	
दाया निचला अंग (आंशिक अथवा पूर्ण)	इस पर विचार किया जा सकता है	
दाया/बाया उपरि अंग (आंशिक अथवा पूर्ण)	इस पर विचार किया जा सकता है	
दोनों निचले अंग (आंशिक अथवा पूर्ण)	इस पर विचार किया जा सकता है	

दोनों उपरि अंग (आंशिक)	विशेष परिस्थितियों में इस पर विचार किया जा सकता है	हाथ से सामान्य संचालन बहुत नाजुक होता है। विशेष परिस्थितियों में ऐसी स्थिति पर विचार किया जा सकता है।
एक निचले अंग और एक उपरि अंग का संयोजन	विशेष परिस्थितियों में इस पर विचार किया जा सकता है	

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रयोजन के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र विधिवत रूप से गठित बोर्ड द्वारा जिला स्तर पर दिया जाएगा। इस बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), एक मेडिसिन विशेषज्ञ और एक विषय विशेषज्ञ होगा जो जिला अस्पताल अथवा मेडिकल कॉलेज के बोर्ड से होंगे जहां बोर्ड का अध्यक्ष मेडिकल सुपरिटेण्डेंट अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि होगा और दो विषय विशेषज्ञ (पीएमआर/ऑर्थोपेडिक्स सर्जन) सदस्यों के रूप में होंगे।

अनुबंध-क

रीट्रो फिटमेंट किट विनिर्माता द्वारा दी जाने वाली तकनीकी सूचना

1	रीट्रो फिटमेंट किट विनिर्माता का नाम और पता	
	दूरभाष सं०— फैक्स सं०— ई-मेल पता— संपर्क करें— वेबसाइट का पता, यदि कोई हो—	
2	रीट्रो फिटमेंट के लिए चयनित यान का मॉडल	
3	निम्नलिखित विवरण सहित अधिप्रमाणित ड्राइंग की दो प्रतियां :— क) किट का अभिनिर्धारण/मॉडल सं० ख) किट के कंपोनेंट्स की सूची ग) प्रत्येक कंपोनेंट का विवरण और वाहन में किट को एसेंबल करना घ) व्यक्ति की सहायक सामग्री/क्रवज, आदि के लिए स्थान का निर्धारण और ब्योरे निर्धारित करना	
4	मॉडिफाइड कंट्रोल/अन्य तंत्र की अचानक विफलता की स्थिति में सुरक्षा के बारे में विस्तृत व्याख्या	
5	निर्देश/अनुरक्षण मैन्युअल	
6	कोई अन्य संबंधित सूचना	

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****(MVL SECTION)****RESOLUTION**

New Delhi, the 23rd July, 2008

No. RT-11012/1201-MVL.— In the recent past, the Government have received a number of representations from persons with disability, highlighting the problem being faced by them due to non-availability of invalid carriages in the market as well the policy of banning alteration in motor vehicles under Section 52 of the Motor Vehicles Act, 1988.

2. Section 2 (18) of the Motor Vehicles Act, 1988 defines "invalid carriage" as motor vehicle especially designed and constructed for the use of a person suffering from some physical defect or disability and used solely by or for such a person. Not being a commercially viable proposition, OEMs do not manufacture invalid carriage. Further, the degree and nature of disability also varies from person to person.

3. Prior to the amendment made in the Act in the year 2000, alterations in Motor Vehicles were possible with the approval of concerned registering authority. Section 52 was amended in the year 2000 to impose ban on alteration of motor vehicles to ensure that the vehicles conform to the originally approved prototype. Consequently, the registering authorities stopped the registration of modified / altered two wheelers. Proviso to Section 52(1), however, empowers Central Government to grant exemption for alteration of motor vehicles in a prescribed manner for a specific purpose.

4. The matter was, therefore, considered in this Department to find a way out to provide a suitable two wheeler to the persons with disability without compromising on their safety, as well as safety of other road users.

5. Keeping in view the above, the Government, in exercise of powers conferred under third proviso to Section 52 of the Motor Vehicles Act, 1988, hereby grants exemption for alteration in motorcycles [defined in Section 2(27) of the Act] for use of physically challenged persons by the concerned State Governments, in the manner specified in the Annexure attached with this Order, subject to the following conditions:-

- (i) Retro fitted vehicles should not be categorized as "Invalid Carriage" as these vehicles will not be meeting the definition of "Invalid Carriage" given under Section 2(18) of the Motor Vehicles Act, 1988.
- (ii) Even after adding the side car on the left side of the scooter the seating capacity will remain same and the side car should not be utilized for carrying luggage.
- (iii) Such permission may be given to the person with disability if he is the owner of the altered vehicle.
- (iv) Such permission should not be considered if prototyped vehicle is available in the market.
- (v) Permission for alteration should be valid if the person with disability is driving the vehicle.
- (vi) It will be the personal responsibility of the person with disability to keep the vehicle in fit condition / drive it carefully so that there may not be any safety hazard.
- (vii) Permission will be subject to obtaining a medical fitness certificate from the competent medical authority to drive the vehicle.
- (viii) Person with disability has to give the driving test and obtain necessary permission from the Licensing Authority to drive the altered vehicle. Ability of the

person with disability should be considered while deciding his ability to drive a vehicle with prescribed modifications. A person with loco motor disability is required to have the modification in the specified vehicle as prescribed by a specialist Doctor in Physical Medicine and Rehabilitation (PMR) / Orthopaedic Surgeon.

- (ix) Necessary entry in the RC about the alteration will be made by the concerned registering authority.
- (x) Permission will stand withdrawn once the vehicle is sold to some other party.
- (xi) Valid certificate of retro fitment kit from authorized Test Agency will be produced.
- (xii) Valid certificate of authorized workshop for the fitment of approved retro fitment kit will be produced.
- (xiii) Above alteration should be permitted only in the non transport vehicles.

6. All State / UT Governments are requested to consider the cases relating to retro fitment of side car in two wheelers / fitment of additional two wheels at the rear on both the side as per the following procedure:-

PROCEDURE FOR APPROVAL OF RETRO FITMENT/ ADAPTATION KIT FOR TWO WHEELED VEHICLE FOR PHYSICALLY CHALLENGED PERSON

1.0 OBJECTIVE

Facilitate the person with lower limb disabilities to drive the two wheelers.

2.0 POSSIBLE MODIFICATIONS IN THE VEHICLE

2.1 Fitment of Side Car:

- (a) 2-wheeler vehicle can be modified by fitment of a sidecar on the left side of the vehicle.
- (b) While carrying out such a modification, it shall be ensured that minimum changes are made on the basic structure of the vehicle.
- (c) In case the original vehicle has any foot controls (such as accelerator, brake, clutch or gear shift), such controls shall be adapted for operation by hand.
- (d) The vehicle shall have device to intentionally lock the wheels in order to prevent rolling of vehicle (in situations like alighting the vehicle, stopping the vehicle on the gradient, etc.)
- (e) The vehicle shall have either hand start or electric-starting mechanism.
- (f) Clamping arrangements shall be provided for carrying person's aids/ crutches etc.

2.2 Fitment of additional two wheels at the rear on both the side:

- (a) 2-wheeler vehicle can be modified by fitment of additional two wheels to provide balancing / stability to the vehicle. The additionally fitted wheels shall have preferably the same size and specification of the original rear wheel.
- (b) While carrying out such a modification, it shall be ensured that minimum changes are made on the basic structure of the vehicle.
- (c) In case original vehicle has any foot controls (such as accelerator, brake, clutch or gear shift), such controls shall be adapted for operation by hand.
- (d) The vehicle shall have device to intentionally lock the wheels in order to prevent rolling of vehicle (in situations like alighting the vehicle, stopping the vehicle on the gradient, etc.)
- (e) The vehicle shall have either hand start or electric-starting mechanism.
- (f) Clamping arrangements shall be provided for carrying person's aids / crutches etc.

3.0 APPROVAL OF RETRO FITMENT / ADAPTATION KIT

3.1 Application for Approval

Kit manufacturer shall submit the already type approved vehicle model fitted with retro fitment / adaptation kit along with technical information as per details given in Annexure A.

2789 GI/08-3

4.0 REQUIREMENTS

The vehicle model fitted with retro fitment / adaptation kit shall be tested for:

4.1 Functional Brake Test


Vehicle shall be driven on a normal city road at 50 kmph speed (as indicated on speedometer). Both brakes (front and rear) shall be applied together and the stopping behavior of the vehicle shall be checked. During this test, the vehicle shall not show any instability or unsafe condition.

4.2 Functional Grade ability Test

The vehicle shall be driven on the gradient such as city fly over. While negotiating the gradient, brakes shall be applied. The vehicle shall not skid and roll back. On release of brake, the vehicle shall be able to easily climb the gradient.

4.3 Fixing of Retro-Reflective Tape


- 4.3.1 Retro-reflective tape, red in colour and having minimum width of 20 mm, shall be affixed running across the width on the rear side of the sidecar or on the additional wheels (as the case may be) to indicate the presence of additional fitment and the width of vehicle from the rear as shown below.



Vehicle fitted with
two rear wheels

Vehicle fitted with
side car

- 4.3.2 Retro-reflective tape, white in colour and having minimum width of 20 mm, shall be affixed running across the width on the front side of the sidecar or on the additional wheels (as the case may be) to indicate the presence of additional fitment and the width of vehicle from the front as shown below.



Vehicle fitted with
two rear wheels

Vehicle fitted with
side car

4.4 Identification Symbol

The vehicle shall carry following symbol in the front and at rear, indicating that the vehicle is meant for driving by a physically challenged person. The symbol shall be made up of retro-reflective material (tape).



Size : 80 x 80 mm

5.0 APPROVAL OF WORKSHOPS FOR THE FITMENT OF APPROVED KITS

The kit manufacturer shall identify the workshops, which shall carry out the fitment on his behalf. This shall be done on the basis of:

- Competence.
- Availability of necessary equipments.
- Experience in the relevant field.
- Trained manpower, etc.

6.0 TYPES OF PHYSICAL DISABILITIES THAT CAN BE CONSIDERED FOR USE OF ABOVE VEHICLES WITH RETRO FITTED KIT

Following criteria for grant of DL should be followed:-

Nature of limb disability	Recommendation	Remarks
Left lower limb (partial or full)	Can be considered	
Right lower limb (partial or full)	Can be considered	
Both lower limb (partial or full)	Can be considered	
Left / Right upper limbs (partial or full)	Can be considered	
Both upper limb (partial)	Can be considered under special circumstances	Normal operation by hands is very critical. Such situations may be considered under special circumstances.
Combination of one lower limb and upper limb.	Can be considered under special circumstances	

Medical Certificate for the purpose of DL would be given at the District level by a duly constituted board comprising of CMO as chairman, one medicine specialist and one subject matter specialist (PMR / Orthopedics surgeon) as member in District hospitals or by a Medical College, where the board will consist of Medical Superintendent or his authorized representative as chairman and two subject matter specialists (PMR / Orthopedic surgeon) as members.

ANNEXURE: A

**TECHNICAL INFORMATION TO BE SUBMITTED BY
THE RETRO FITMENT KIT MANUFACTURER**

1	Retro fitment kit Manufacturers name and address	
	Tel. No. Fax No. E mail address Contact person Website address, if any.	
2	Vehicle Model selected for retro fitment.	
3	Authenticated drawings, in duplicate, with following details: a) Kit identification / model No. b) List of kit components. c) Details of individual component and assembly of kit on the vehicle. d) Locations and fixing details for person's aids / crutches, etc.	
4	Detailed explanation about safety in case of accidental failure of modified controls / other mechanisms.	
5	Instructions / Maintenance manual.	
6	Any other relevant information.	

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.